क्रम-संख्या–138

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–3, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के विधेयक)

लखनऊ, मंगलवार, 26 अगस्त, 2025

भाद्रपद 4, 1947 शक सम्वत्

विधान सभा सचिवालय
उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या 1726/वि0स0/संसदीय/58(सं)-2025
लखनऊ, 11 अगस्त, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2025, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 11 अगस्त, 2025 के उपवेशन में पुरःस्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2023 के नियम 126 के अन्तर्गत एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2025

वर्तमान समय में अनावश्यक तथा अप्रचलित कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए तथा एक अधिनियमिति को पुनर्जीवित करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1)यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।

(2) जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, यह दिनांक 28 मई, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन

2–(1) इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं ।

(2) उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2022) की अनुसूची में, क्रम–संख्या 7 पर विनिर्दिष्ट प्रविष्टि को, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) को, निरसन के दिनाँक से पूर्णतः पुनर्जीवित किये जाने के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

व्यावृत्ति

3–इस अधिनियम द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची में दिये गये किसी अधिनियमिति के निरसन से,–

(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व कृत कार्य या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे कि एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे;

(ङ) लेखा–परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा–परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित न की गयी हों ।

अनुसूची

[धारा 2 की उपधारा (1) देखें]

निरसित किये जा रहे अधिनियम

क्रमांक	अधिनियम का नाम	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या
1	आगरा विश्वविद्यालय (अनुपूरक) अधिनियम, 1952	3 सन् 1953
2	आगरा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1954	25 सन् 1954
3	इलाहाबाद विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1957	5 सन् 1958
4	लखनऊ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1957	6 सन् 1958
5	गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1958	23 सन् 1958
6	वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1958	24 सन् 1958
7	आगरा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1958	26 सन् 1958
8	उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1959	11 सन् 1959
9	उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1961	13 सन् 1961
10	गोरखपुर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1962	24 सन् 1962

क्रमांक	अधिनियम का नाम	उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या
11	उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (उप–कुलपतियों की नियुक्ति) (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1966	6 सन् 1966
12	कानपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1966	31 सन् 1966
13	उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1971	19 सन् 1971
14	वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972	21 सन् 1972
15	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1982	9 सन् 1982
16	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1985	22 सन् 1985
17	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1992	2 सन् 1992
18	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1997	10 सन् 1997
19	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2004	24 सन् 2004
20	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2004	30 सन् 2004
21	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006	4 सन् 2006
22	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006	22 सन् 2006
23	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2006	42 सन् 2006
24	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007	42 सन् 2007
25	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007	14 सन् 2008
26	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2008	18 सन् 2008
27	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007	10 सन् 2014
28	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014	12 सन् 2014
29	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2014	22 सन् 2014
30	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015	12 सन् 2015
31	उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2016	6 सन् 2016
32	उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) अधिनियम, 2016	22 सन् 2016
33	एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016	25 सन् 2016
34	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016	28 सन् 2016
35	उत्तर प्रदेश ब्रज नियोजन और विकास बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2017	3 सन् 2017

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेष, 2025 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2025

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के सह–प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

यह विधेयक उन आवधिक उपायों में से एक है, जिसके द्वारा वर्तमान समय में अप्रचलित एवं अनावश्यक हो चुके अधिनियमितियों को निरसित किया जाता है। राज्य विधि आयोग की संस्तुति पर, संबंधित प्रशासकीय विभागों की सहमति प्राप्त होने के पश्चात्, ऐसे 35 संशोधन अधिनियमों को निरसित करने का विनिश्चय किया गया है, जो वर्तमान समय में अप्रचलित एवं अनावश्यक हो गए हैं तथा जिन्हें पृथक अधिनियम के रूप में बनाए रखना अनावश्यक है। इसके अतिरिक्त, जनसामान्य को आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की सुचारु आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) को पुनरुज्जीवित करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2022) को आंशिक रूप से निरसित करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत, वर्ष 2025 के राज्य विधान मण्डल के द्वितीय सत्र में निरसन विधेयक पुरःस्थापित करने का विनिश्चय किया गया है।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनाँक 28 मई, 2025 को उत्तर प्रदेश निरसन अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2025) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
SANSADIYA KARYA ANUBHAG-1

No. 196/XC-S-1–25-09S-2025
Dated Lucknow, August 26, 2025

NOTIFICATION
MISCELLANEOUS

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the "Uttar Pradesh Nirasan Vidheyak, 2025" introduced in the Uttar Pradesh Legislative Assembly on August 11, 2025.

THE UTTAR PRADESH REPEALING BILL, 2025

A

BILL

to repeal certain enactments that have become redundant and obsolete in the present times and to revive an enactment.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Repealing Act, 2025.

(2) Save as otherwise provided, it shall be deemed to have come into force with effect from the 28th day of May, 2025.

Repeal of certain enactments

2. (1) The enactments specified in the Schedule of this Act are hereby repealed.

(2) In the Schedule to the Uttar Pradesh Repealing Act, 2022 (U.P. Act No. 18 of 2022), the entry specified at serial number 7 thereto is hereby repealed for the purpose of wholly reviving the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act no. 30 of 1966) from the date of its repeal.

Savings

3. The repeal by this Act of any enactment specified in the Schedule below shall not,—

(a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

(b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past Act or thing;

(c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed;

(d) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force;

(e) affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken, and, or continued as if the said enactments are not repealed by this Act.

SCHEDULE

[See sub-section (1) of section 2]

Acts being repealed

Sl. No.	Name of the Act	U.P. Act No.
1	The Agra University (Supplementary) Act, 1952	3 of 1953
2	The Agra University (Amendment) Act, 1954	25 of 1954
3	The Allahabad University (Amendment) Act, 1957	5 of 1958
4	The Lucknow University (Amendment) Act, 1957	6 of 1958
5	The Gorakhpur University (Amendment) Act, 1958	23 of 1958
6	The Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 1958	24 of 1958
7	The Agra University (Amendment) Act, 1958	26 of 1958
8	The Uttar Pradesh Universities Act, 1959	11 of 1959
9	The Uttar Pradesh Universities Act, 1961	13 of 1961
10	The Gorakhpur Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 1962	24 of 1962
11	The Uttar Pradesh Universities (Appointment of Vice-Chancellors) (Amendment and Validation) Act, 1966	6 of 1966
12	The Kanpur and Meerut Universities (Sanshodhan) Adhiniyam, 1966	31 of 1966
13	The Uttar Pradesh Universities (Amendment) Act, 1971	19 of 1971
14	The Varanaseya Sanskrit Vishwavidyalaya (Amendment) Act, 1972	21 of 1972

Sl. No.	Name of the Act	U.P. Act No.
15	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 1982	9 of 1982
16	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 1985	22 of 1985
17	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 1992	2 of 1992
18	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 1997	10 of 1997
19	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2004	24 of 2004
20	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Act, 2004	30 of 2004
21	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2006	4 of 2006
22	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Act, 2006	22 of 2006
23	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Third Amendment) Act, 2006	42 of 2006
24	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2007	42 of 2007
25	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Act, 2007	14 of 2008
26	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2008	18 of 2008
27	The Mohammad Ali Jauhar University (Amendment) Act, 2007	10 of 2014
28	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Second Amendment) Act, 2014	12 of 2014
29	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2014	22 of 2014
30	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2015	12 of 2015
31	The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 2016	6 of 2016
32	The Uttar Pradesh Ministers' (Salaries, Allowances and Miscellaneous Provisions) (Amendment) Act, 2016	22 of 2016
33	The Amity University Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2016	25 of 2016
34	The Mohammad Ali Jauhar University (Amendment) Act, 2016	28 of 2016
35	The Uttar Pradesh Braj Planning and Development Board (Amendment) Act, 2017	3 of 2017

Repeal and Saving

4. (1) The Uttar Pradesh Repealing Ordinance, 2025 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 4 of 2025

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is one of those periodical measures by which enactments which have become redundant and obsolete in the present times, are repealed. On recommendation of the State Law Commission, it has been decided to repeal 35 amending Acts, which have become redundant and obsolete in present times and retention whereof as separate Acts is unnecessary, after obtaining the consent of the Administrative Departments related therewith. Apart from this, in order to ensure smooth supply of essential goods and services to the general public there has been felt a need to partially repeal the Uttar Pradesh Repealing Act, 2022 (U.P. Act No. 18 of 2022) with a view to revive the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act No. 30 of 1966).

In view of the above, it has been decided to introduce a repealing Bill in the second session, of the year 2025, of the State Legislature.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Repealing Ordinance, 2025 (U.P. Ordinance No. 4 of 2025) was promulgated by the Governor on 28th May, 2025.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

YOGI ADITYANATH

Mukhya Mantri,

.

———

By order,

J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 148 राजपत्र–2025–(447)–599+25+5 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।